

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या—9 / उपांकीटअनु०—०९ / २०१४  
प्रेषक,

/ कृ०, पटना, दिनांक ..... 2014.

धर्मेन्द्र सिंह भा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

कृ० १५५७  
मात्रा १०.१०.१५  
दिनांक १०.१०.१५

*17/11/14*  
*विषय :-*

श्री धीरज पटेल,  
मेसर्स सागा पेस्टीसाइड्स प्रा० लि०,  
द्वारा नारायण इन्टरप्राइजेज, चर्तुथ तल,  
कमरा नं०—४०१ A शशि कम्पलेक्स, एकजीविशन रोड, पटना—१  
कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या ६० एवं ६२ दिनांक १९.१०.२०१२ के नवीकरण  
करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन कोषागार चालान एवं अन्य कागजातों तथा सहायक कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण) सर्वेलेन्स मुख्यालय, पटना द्वारा समर्पित स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम १९६८ नियमावली १९७१ आदेश १९८६ के अन्तर्गत स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों के बिक्री/भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति संख्या—६० एवं ६२ दिनांक १९.१०.२०१२ को दिनांक ३१.१२.२०१५ तक के लिए नवीकरण किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
१	Malathion 5% DP
२	Cypermethrin 0.25% DP
३	Chlorpyriphos 1.5% DP
४	Butachlor 5% GR

२—उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम १९६८ नियमावली १९७१ के निहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:—मेसर्स सागा पेस्टीसाइड्स प्रा० लि०, H/O श्री लाल किशोर सिंह, S/O श्री सहदेव प्रसाद सिंह (सहदेव भवन), पौस्ट—बड़ी पहाड़ी, थाना—अगमकुआँ, वार्ड नं०—५६, पटना—७

३—Fenvalerate 0.4%DP बैच नं० ०५ विनिर्माण तिथि नवम्बर २०१३, अवसान तिथि अक्टूबर २०१५ अमानक पाये जाने पर विभागीय पत्रांक—२५२५ दिनांक ०३.०६.२०१४ द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दी गई है जिसके कारण कीटनाशी नवीकरण आदेश में इस कीटनाशी को शामिल नहीं किया जा रहा है।

४—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम १९६८, नियमावली १९७१, आदेश १९८६ में निहित प्रावधानो के अनुसार किया जाय।

५—अनुज्ञप्त प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण / विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

६—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

७—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

८—नियम १० बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

९—भारत सरकार से प्रतिबंधित कीटनाशियों का बिक्री भंडारण सर्वथा वर्जित है।

१०—कीटनाशी अनुज्ञप्ति संख्या—६० एवं ६२ दिनांक १९.१०.२०१२ मूल रूप में संलग्न हैं।  
कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापाक

५७५७

/कृ०, पटना, दिनांक ०५-११- 2014

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना / संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना / सहायक कृषि निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना / जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

✓  
०५-११-२०१४  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।